अध्याय- 4 मैनुअल- 3

कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियमन , विनियमन ,अनुदेसन, निर्देशिका और अभिलेख

1) इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ;अधिनियम)-

भारत सरकार द्वारा लागू विधुत अधिनियम 2003 के तहत विधुत निगम के कर्तव्यों के सम्बन्ध में कानून बनाया गया है। इसके आधार पर जोधपुर डिस्कॉम में विभिन्न नियम, निर्देशिका एवं परिपत्र बनाये जाते हैं।
इस अधिनियम का पुस्तक के रूप में प्रकाशन निजी प्रकाशकों द्वारा किया जाता है। मूल अधिनियम (बेयर एक्ट) के रूप में, हिन्दी अनुवाद के सहित या व्याख्या सहित हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसे बाजार से सशुल्क क्रय किया जा सकता है।

2) टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी (विनियम)- राजस्थान विधुत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इस पुस्तिका का प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किया गया है। इस पुस्तिका में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के विधुत उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले विधुत कनैक्शनों की शर्तों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तिका जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है। इस पुस्तिका को जोधपुर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय से 30.00 (तीस रुपये मात्र) मूल्य चुकाकर क्रय किया जा सकता है।

3) टैरिफ फोर सप्लाई ऑफ इलैक्ट्रिसिटी-2004

राजस्थान राज्य विनियामक आयोग द्वारा विधुत अधिनियम 2003 के तहत जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विभिन्न श्रेणी विधुत उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले टैरिफ का निर्धारण किया गया है।
इसका प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किया गया है। यह पुस्तिका जोधपुर डिस्कॉम के सभी कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है तथा इसे जोधपुर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय से 15 रुपये (पन्द्रह रुपये मात्र) शुल्क अदा कर क्रय किया जा सकता है।

4) कृषि कनेक्शन नीति 2004 ;निर्देशिका)-

इस पुस्तिका का प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा 18-020049- को घोषित संशोधित कृषि नीति के आधार पर राज्य की तीनों विधुत वितरण निगमों के लिये एक साथ किया गया है। यह पुस्तिका जोधपुर डिस्कॉम के प्रत्येक कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है तथा जिला प्रमुखों, जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति प्रधानों, जिला कलक्टरों आदि को भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।
इस पुस्तिका को जोधपुर डिस्कॉम के जनसम्पर्क कार्यालय से 10 (;दस रुपये मात्र) मूल्य चुकाकर क्रय किया जा सकता है।

5) रेवेन्यू मैनुअल (नियम)-

विधुत उपभोक्ताओं को विधुत भार स्वीकृत करने, उनके विधुत मीटरों की रीडिंग लेने,

उपभोक्ता की विधुत खपत का लेजर बनानेए उनका बिल तैयार करने, विधुत उपभोक्ता तक बिल पहुँचाने, राजस्व संग्रहण करने, उपभोक्ता से अग्रिम राशि स्वीकार करने, उपभोक्ता के विधुत कनैक्शन को एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में स्थानांतरित करने, फीडर कोड आवंटित करने, मीटरों की सीलिंग करने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, विभिन्न राजस्व कार्मिकों के कर्तव्यों का निर्धारण करने आदि का विस्तृत वर्णन रेवेन्यू मैनुअल में दिया गया है।
इसका प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा किया गया है तथा यह प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है। इसे जोधपुर डिस्कॉम स्थित जनसम्पर्क कार्यालय से 75.00(;पिचहत्तर रुपये) के मूल्य पर क्रय किया जा सकता है।

6) निष्पादन के मानक -

राजस्थान विधुत विनियामक आयोग द्वारा राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य की विधुत कंपनियों के लिए विभिन्न नियम एवं विनियम बनाए जाते हैं। विधुत निगमों द्वारा विधुत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध मे राजस्थान राज्य विधुत विनियामक आयोग ने निष्पादन के मानक निर्धारित किए हैं।
इस पुस्तिका का प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम द्वारा किया गया है तथा यह पुस्तिका सभी कार्यालय अध्यक्षों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। शीघ्र ही इसे पुस्तकाकार मुद्रण के रूप में भी प्रकाशित किया जाएगा।

7) डेलिगेशन ऑफ पावर्स (नियम)-

जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंताओं, विभिन्न विभागाध्यक्षों, कार्यालय अध्यक्षों एवं अन्य अभियंताओं, लेखा अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के लिये प्राप्त वित्तीय शक्तियां- "डेलिगेशन ऑफ पावर्स" नामक पुस्तिका में अलग से दी गयी हैं।
यह पुस्तिका जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालय अघ्यक्षों द्वारा रखी जाती है। इसका प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा किया गया है तथा यह प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।

8) वर्क्स मैनुअल एण्ड जनरल कन्डीशन्स ऑफ कान्ट्रेक्ट फॉर वर्क्स (नियम)-

विभिन्न निर्माण कार्या यथा भवन निर्माण जी.एस.एस. निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिये टेण्डर तैयार करने प्रकाशित करने तथा कार्य की शर्तें आदि तय करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों प्रक्रियाओं तथा कान्ट्रेक्ट अवार्ड करने आदि के नियम इस पुस्तिका में लिखे हुए हैं।
इसका प्रकाशन जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय द्वारा किया गया है तथा यह प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।

9)परचेज मैनुअल (नियम)-

जोधपुर डिस्कॉम द्वारा क्रय की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं उपकरणों को क्रय

करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को अलग-अलग शक्तियां प्राप्त हैं जिनका पूर्ण विवरण परचेज मैनुअल में दिया गया है।

इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है तथा यह प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।

10) स्टोर मैनुअल (नियम)-

जोधपुर डिस्कॉम द्वारा क्रय की जाने वाली विभिन्न सामग्री यथा ट्रांसफार्मर, मीटर, विधुत तार, आयल, कैपेसीटर, ब्रेकर, आदि सामग्री को स्टोर द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा स्टोर के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों को पहुँचाया जाता है। अनुपयोगी उपकरणों एवं अन्य सामग्री को पुनः स्टोर में जमा करवाने तथा उसे समय पर नीलाम करवाने की प्रक्रिया भी स्टोर द्वारा की जाती है। इन कार्यों को सम्पादित करने के लिये विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियां इस पुस्तिका में वर्णित की गयी हैं।

इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है तथा यह प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी है।

11) सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रेग्यूलेशन्स(रिक्रूटमेंट प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) 1969 ;विनियम)-

जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत अभियंताओं के कर्तव्यों के निर्धारण के लिये बने नियमों की पुस्तिका "इंजीनियर्स सर्विस रेग्यूलेशन्स" कहलाती है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है।

12) आफिसर्स (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन्स,1974 ;विनियम)-

जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्धारण के लिये बने नियमों की पुस्तिका" आफिसर्स (रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन एण्ड सीनियोरिटी) रेग्यूलेशन्स" कहलाती है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है। एम्पलाइज सर्विस रेग्यूलेशन्स(विनियम)- जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत अभियंताओं के कर्तव्यों के निर्धारण के लिये बने नियमों की पुस्तिका "एम्पलाइज सर्विस रेग्यूलेशन्स"' कहलाती है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है।

13) मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन्स1962 ;विनियम)-

जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत अभियंताओं के कर्तव्यों के निर्धारण के लिये बने नियमों की पुस्तिका " मिनिस्ट्रीयल स्टाफ सर्विस रेग्यूलेशन्स' " कहलाती है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है।

14)सी.सी.ए. रूल्स-

जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत कार्मिकों के आचरण निर्धारण के लिये बने नियमों की पुस्तिका सी.सी.ए. रूल्स कहलाती है। इसका प्रकाशन तत्कालीन राजस्थान राज्य मण्डल द्वारा किया गया है।

15)अन्य नियमावलियां-

जोधपुर डिस्कॉम के कार्मिकों के दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्धारण के लिये राजस्थान राज्य सेवा नियमन राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमन मेडिकल रूल्स, यात्रा भत्ता नियम आदि नियमावलियां बनी हुई हैं। ये बाजार में सशुल्क क्रय की जा सकती हैं। जो पुस्तिकायें सीमित मात्रा में मुद्रित करवाकर कार्यालय अध्यक्षों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गयी हैं , उनकी फोटो प्रति प्रति पृष्ठ दो रुपया मूल्य देकर प्राप्त की जा सकती है।